Email／स्पीड पोस्ट／विशेष पत्र वाहक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 1579 / रेनुकूट / 15 दिनांक– 31–10– 2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
एन0सी0एल0 ककरी परियोजना,
ककरी, सोनभद्र (उ0प्र0)।

विषयः– ककरी परियोजना नार्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सोनभद्र को कोयला खनन हेतु हस्तान्तरित 185.84हे0 वन भूमि लीज के नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव संख्या FP/UP/MIN/29061/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव का परीक्षण प्रभाग स्तर पर किया गया, जिनमें कई कमियॉ पाई गई। उक्त प्रस्ताव आपको मूल में (6 प्रतियॉ) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या 8–350／87–एफ0सी0 दिनांक 30.05.1989 एवं उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एल0 598／14–3–1989 दिनांक 22.12.1989 में उल्लिखित बिन्दु संख्या 8 (ब) के अनुसार प्रतिवर्ष लीज रेंज का भुगतान किये जाने के शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है, परन्तु अत्यन्द खेदजनक स्थिति यह है कि आप द्वारा वर्ष 2011–12 के पश्चात् आज तक प्रतिवर्ष लीज रेंट का भुगतान नहीं किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्ताव में संलग्न संलग्नक–2 के बिन्दु संख्या–8 (ब) का अवलोकन करें।

अतः आप ब्याज सहित अवशेष लीज रेंट का भुगतान तत्काल करायें एवं प्रस्ताव की कमियों का निराकरण तत्काल करते हुए आप या आपके प्रतिनिधि दिनांक 02.11.2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में गति दी जा सके।

<u>संलग्नकः प्रस्ताव की 6 प्रतियॉ मूल में।</u>

भवदीय

(एम0पी0सिंह) 31.10.2018
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।

संख्या अ／समदिनांक।

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक／नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय वन अधिकारी, अनपरा रेज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ब्याज सहित अवशेष लीज रेंज के भुगतान हेतु व्यक्तिगत रूप से महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0 ककरी परियोजना से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।